माननीय न्यायाधीश एन. के. सोढ़ी के समक्ष ,

अनंग पाल और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड ने सचिव एच.एस.ई.बी. भवन, सेक्टर -6, पंचकूला, और अन्य के माध्यम से उत्तरदाताओं *को सूचित किया।*

1989 का.*सी.डब्ल्यू.पी. 8769*

7 सितम्बर, 1995.

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद *226 /227* - औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम *1946* - *बहाली और बाद में स्थानांतरण - बोर्ड स्थायी आदेशों के मद्देनजर अपने कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं है।*

(पैरा 7)

यह माना गया कि यदि मॉडल स्थायी आदेश विनियमों पर हावी हैं, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे स्थायी आदेशों ने बोर्ड को अपने कर्मकारों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति दी है। हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित मॉडल स्थायी आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियोक्ता को हस्तांतरण की कोई शक्ति नहीं दी गई है। ऐसी किसी भी शक्ति के अभाव में, बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है कि वह अपने किसी भी कार्यकर्ता को स्थानांतरित कर सकता है, चाहे उसकी कार्रवाई अन्यथा उचित हो।

भारत का संविधान -1950 - अनुच्छेद 226 /227 - औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) पंजाब (हरियाणा प्रथम संशोधन) *1969* - थर्मल प्लांट, फरीदाबाद द्वारा नियोजित याचिकाकर्ता - क्या स्थापना *1946 के*

अधिनियम के तहत बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा शासित होनी चाहिए - बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम - स्थायी आदेशों को ओवरराइड करने के लिए विनियमन

(पैरा 6 & 7)

अभिनिर्धारित माना गया कि थर्मल प्लांट यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं, इस प्रकार मॉडल स्थायी आदेशों और बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है।

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि अब सवाल यह उठता है कि दोनों में से कौन औद्योगिक प्रतिष्ठान को नियंत्रित करेगा। मेरी राय में, 1946 अधिनियम के तहत तैयार किए गए मॉडल स्थायी आदेश बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों की जगह लेंगे और बोर्ड का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उन्हें 1946 अधिनियम की धारा 13-बी के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। 1946 का अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित मामलों के संबंध में एक विशेष कानून है और यह विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में निहित सामान्य प्रावधानों पर प्रबल होना चाहिए। यही कारण है कि मॉडल स्थायी आदेश बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों की जगह ले लेंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से आभा राठौर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर *से डी डी. गुप्ता, वकील।*

निर्णय

न्यायाधीश श्री एन. के. सोढ़ी

1. याचिकाकर्ताओं को थर्मल प्लांट, फरीदाबाद में वर्ष 1980 और 1981 में कुछ समय के लिए कार्य शुल्क के आधार पर टी-मेट्स के रूप में नियुक्त किया गया था, जो हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में बोर्ड) की एक इकाई है। बोर्ड के अनुसार, उन्हें थर्मल प्लांट की तीसरी इकाई के परिचालन पूर्व परीक्षण कार्य के संबंध में समय-समय पर एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जा रहा था, जिसे वर्ष 1981-82 में चालू किया गया था और परीक्षण कार्य पूरा होने पर उनके रोजगार का अनुबंध 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गया, जिसे उसके बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था। रोजगार की इस समाप्ति ने कुछ औद्योगिक विवादों को जन्म दिया, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 2-ए के तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उठाए गए थे। विवादों को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय फरीदाबाद को भेजा गया था। चूंकि मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दे समान थे, इसलिए सभी संदर्भों को समेकित किया गया था। श्रम न्यायालय 16 नवंबर, 1987 के अपने फैसले के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनकी सेवाओं को गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था क्योंकि बोर्ड ने अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन नहीं किया था। प्रबंधन को उन्हें सेवा की निरंतरता के साथ बहाल

करने का निर्देश दिया गया था। बोर्ड ने इस न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं दायर करके उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी, जिसे 6 जुलाई, 1995 को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त अधिनिर्णय के अनुसार बहाल कर दिया गया और उसके बाद उन्हें कार्यकारी अभियंता, थर्मल प्लांट, फरीदाबाद के कार्यालय से अधीक्षण अभियंता (ओपी) सर्कल, फरीदाबाद के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें फरीदाबाद शहर के भीतर पहले एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में बार-बार स्थानांतरण के अधीन किया गया था और बाद में सभी याचिकाकर्ताओं को कार्यकारी अभियंता (पी एंड एस) थर्मल, फरीदाबाद के कार्यालय से अधीक्षण अभियंता (ओपी) सर्कल, नमौल के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरण के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका में चुनौती दी है। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, मोशन बेंच ने स्थानांतरण के लागू आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता अपनी पोस्टिंग के पुराने स्टेशन पर काम करना जारी रखते हैं।

2. स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं की वकील श्रीमती आभा राठौर ने तर्क दिया कि बोर्ड के पास औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 19आईओ (इसके बाद 1946 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर किसी भी याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं है।

तर्क यह है कि थर्मल प्लांट की तीसरी इकाई जहां याचिकाकर्ता कार्यरत थे, 1946 के अधिनियम के अर्थ के भीतर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है और इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल स्थायी आदेशों द्वारा शासित होता है जो बोर्ड द्वारा किसी भी प्रमाणित स्थायी आदेश के अभाव में काम करते हैं और यह कि मॉडल स्थायी आदेश बोर्ड को अपने श्रमिकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं देते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक।

3. बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील डीडी गुप्ता ने कहा कि थर्मल प्लांट की तीसरी इकाई के पूर्व-परिचालन परीक्षण कार्यों के दौरान नियोजित याचिकाकर्ता काम के कर्मचारी थे और उनकी सेवाएं 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गईं जब जिस काम के लिए उन्हें नियोजित किया गया था। चूंकि श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की बहाली का निर्देश दिया था, इसलिए उन्हें निर्णय के अनुपालन में वापस ले लिया गया था, लेकिन चूंकि थर्मल प्लांट में उनके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उन्हें गुड़गांव, मोहिंदरगढ़ आदि जैसे पास के जिलों में स्थित बोर्ड के कार्यालय में समायोजित/समायोजित किया गया था और यही कारण है कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, उन्हें स्थानांतरित करने में बोर्ड की कार्रवाई पूरी तरह से उचित है और बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने के प्रयास किए हैं, जहां भी उनके लिए काम उपलब्ध था। यह स्वीकार किया जाता है कि बोर्ड के पास थर्मल प्लांट या उसके स्वामित्व वाले

किसी अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कोई प्रमाणित स्थायी आदेश नहीं है और सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें यानी तकनीकी, गैर-तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य बिजली (आपूर्ति) अधिनियम , 1948 की धारा 79 (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं।

4. पक्षकारों के वकीलों द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों से यह सवाल उठता है कि क्या बोर्ड के पास 1946 के अधिनियम के अर्थ के भीतर औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत अपने श्रमिकों को स्थानांतरित करने की शक्ति है।

5. 1946 के अधिनियम को इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को उनके अधीन रोजगार की शर्तों को पर्याप्त परिशुद्धता के साथ परिभाषित करना होगा और उनके द्वारा नियोजित कामगारों को उक्त शर्तों से अवगत कराया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नियोक्ता को उस तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिस दिन 1946 का अधिनियम एक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है, उसके द्वारा प्रस्तावित मसौदा स्थायी आदेशों की पांच प्रतियां जो मैं औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपनारहा हूं। इस मसौदे की एक प्रति कामगारों या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन को भी प्रदान की जाती है। 1946 अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले के लिए मसौदे में प्रावधान किया जाना चाहिए और जहां मॉडल स्थायी

आदेश निर्धारित किए गए हैं, मसौदा जहां तक लागू हो, ऐसे मॉडल के अनुरूप होगा। इसके बाद प्रमाणित अधिकारियों द्वारा उसमें निहित प्रावधानों की निष्पक्षता और औचित्य पर निर्णय लेने के बाद उन्हें प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित होने के बाद स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू हो जाते हैं और उसमें नियोजित श्रमिकों के रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। 1946 के अधिनियम की धारा 12-ए में यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होने के बाद और जब तक स्थायी आदेश अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं हो जाते और लागू नहीं हो जाते, तब तक मॉडल स्थायी आदेश उस प्रतिष्ठान पर लागू होंगे। वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं हो सकता है कि थर्मल प्लांट जहां याचिकाकर्ता कार्यरत थे, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित एक कारखाना है और इसलिए, 1946 अधिनियम की धारा 2 के खंड (ई) के अर्थ के भीतर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है। ऐसा होने के कारण थर्मल प्लांट 1946 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। श्री एच एस दहिया द्वारा दायर हलफनामे में। मुख्य अभियंता। थर्मल प्लांट, फरीदाबाद अतिरिक्त प्रस्तुतियों के रूप में, यह कहा गया है कि बोर्ड के पास थर्मल प्लांट में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कोई प्रमाणित स्थायी आदेश नहीं है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) पंजाब (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1969 के तहत हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित मॉडल स्थायी आदेश थर्मल प्लांट, फरीदाबाद पर लागू होंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि

1946 के अधिनियम की धारा 13-ख के अनुसार, यह किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होता है यदि उसमें नियोजित कामगार धारा में उल्लिखित किसी भी सिविल सेवा नियम या किसी अन्य नियम या विनियम द्वारा शासित होते हैं जिन्हें सरकारी राजपत्र में उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है। मुख्य अभियंता के हलफनामे के अनुसार, याचिकाकर्ता सहित बोर्ड के कर्मचारी बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। इन विनियमों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में 1946 अधिनियम की धारा 13-ख के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है और इसलिए, वे थर्मल प्लांट, फरीदाबाद के लिए 1946 अधिनियम की प्रयोज्यता को समाप्त नहीं करते हैं। थर्मल प्लांट यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां पालतू जानवर? इस प्रकार कार्यरत कर्मचारी मॉडल स्थायी आदेशों और विद्युत (आपूत) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होते हैं।.

6. अब सवाल यह उठता है कि दोनों में से कौन औद्योगिक प्रतिष्ठान को नियंत्रित करेगा। मेरी राय में, 1946 अधिनियम के तहत तैयार किए गए मॉडल स्थायी आदेश बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों को ओवरराइड करेंगे और बाद में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उन्हें 1946 अधिनियम की धारा 13-बी के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। 1946 का

अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित मामलों के संबंध में एक विशेष कानून है और यह विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में निहित सामान्य प्रावधानों पर प्रबल होना चाहिए। यही कारण है कि मॉडल स्थायी आदेश बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी करेंगे। मैं जो दृष्टिकोण ले रहा हूं, उसे *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और एक अन्य बनाम हरि शंकर जैन और अन्य* (1) से समर्थन मिलता है।

7. अब, यदि मॉडल स्थायी आदेश विनियमों पर हावी हैं, तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे स्थायी आदेशों ने बोर्ड को अपने कामगारों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति दी थी। हरियाणा राज्य द्वारा निर्धारित मॉडल स्थायी आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियोक्ता को हस्तांतरण की कोई शक्ति नहीं दी गई है। ऐसी किसी भी शक्ति के अभाव में बोर्ड के पास अपने किसी भी कार्यकर्ता का स्थानांतरण करने का विकल्प नहीं है, चाहे उसकी कार्रवाई अन्यथा उचित हो। यह देखा जाएगा कि प्रमाणित स्थायी आदेशों में 1946 अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मामलों के संबंध में प्रावधान शामिल होने चाहिए। उस अनुसूची पर एक नजर डालने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी कामगार को एक औद्योगिक प्रतिष्ठान से दूसरे या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की शक्ति का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। वस्तुत, 1946 के अधिनियम द्वारा शासित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के पास अपने कर्मकारों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं है। जब तक

1946 के अधिनियम की अनुसूची में समुचित संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक स्थायी आदेशों में औद्योगिक कामगारों के स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय है कि स्थायी आदेशों में केवल उन मामलों के संबंध में प्रावधान हो सकते हैं जिनका उल्लेख 1946 के अधिनियम की अनुसूची में है और कोई अन्य नहीं। रोहतक और हिसार डिस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रिक सुवलु कंपनी लिमिटेड बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद अन्य* [1]A.TR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1471 इस संबंध में काफी प्रासंगिक हैं: -

"फिर उन मामलों के संबंध में जिन्हें स्थायी आदेशों के दायरे में लाया जा सकता है, इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि स्थायी आदेशों का मसौदा अनुसूची से बाहर के मामलों से संबंधित हो सकता है. उदाहरण के लिए, स्थायी आदेशों के कुछ मसौदे का मामला लें, जिन्हें अपीलकर्ता पेश करना चाहता था; इनमें प्रबंधन के विवेक पर एक शाखा से दूसरी शाखा और एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण के लिए कर्मचारियों की देयता का संदर्भ था। इन दो स्थायी आदेशों को अपीलकर्ता के मसौदे में संख्या 10 और 11 के रूप में शामिल किया गया था। ये दोनों प्रावधान अनुसूची में किसी भी मद के अंतर्गत नहीं आते हैं: और इसलिए, प्रमाणित प्राधिकारियों का उन्हें प्रमाणित स्थायी आदेशों में शामिल नहीं करना काफी उचित था।

---

[1] 1978 Lab I.C. 1957.

8. परिणाम में, यह माना जाना चाहिए कि बोर्ड के पास याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं थी। निष्कर्ष निकालने से पहले यह उल्लेख किया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा अपनाया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं को पड़ोसी जिलों में स्थानांतरित किया जाना था क्योंकि थर्मल प्लांट में उनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था। चूंकि मैंने माना है कि बोर्ड के पास याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए स्थानांतरण के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि, यह बोर्ड के लिए खुला होगा कि वह थर्मल प्लांट में याचिकाकर्ताओं के लिए कोई काम नहीं होने की स्थिति में कानून के अनुसार उनकी छंटनी कर सकता है।

9. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और स्थानांतरण के आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

J.S.T.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी